

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-14)

क्रमांक एफ 2(1)ग्राविवि/14/SECC/2011/

जयपुर,दिनांक 06.09.2011

परिपत्र-3

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय:- सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 (Socio-Economic and Caste Census (SECC)-2011) से संबंधित जिला कलक्टर स्तर पर किये जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 भारत सरकार द्वारा माह जून, 2011 से प्रारम्भ कर दी गयी है। राज्य में इस जनगणना का कार्य माह नवम्बर, 2011 से प्रारम्भ किया जायेगा। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.5.2011 एवं 24.6.2011 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वेबसाइट <http://rural.nic.in> पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने भी इस संबंध में दिनांक 25.8.2011 को अधिसूचना जारी कर दी है। कृपया आप इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन अवश्य करें जिससे कि आपके जिले में यह कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सके।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के आधार पर प्रत्येक परिवार (Household) को रैंक प्रदान किया जाएगा एवं इसके आधार पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बीपीएल परिवारों का चयन किया जाएगा। जनगणना कार्य के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समस्त परिवारों का सर्वे किया जायेगा। पूर्व में संपादित जनगणना 2011 एवं उक्त जनगणना में एक प्रमुख अन्तर यह भी है कि यह जनगणना एक पेपरलेस (Paperless) एवं पूर्णतया कम्प्यूटराईज कार्यपद्धति पर आधारित है। यह दिशा-निर्देश ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 से सम्बन्धित है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों में ही जनगणना कार्य की पद्धति समान ही है परन्तु शहरी क्षेत्र के जनगणना कार्य की प्रमुख जिम्मेदारी स्वायत्त शासन विभाग की हैं एवं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये

जायेंगे। इस जनगणना में सर्वे का कार्य हैंड हेल्ड डिवाइस (**Hand held device**) के माध्यम से किया जाना है जो कि बेल (**Bharat Electronic Ltd- BEL**) द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। बेल द्वारा अपने वेण्डर्स एवं ऑपरेटर, तकनीशियन नियुक्त कर इन **HAND HELD DEVICE** का संचालन एवं रखरखाव का कार्य संधारित किया जायेगा।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक तहसील स्तर पर स्थापित होने वाले चार्ज सेन्टर के मार्फत सम्पादित किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक तहसील स्तर पर स्थापित किये जाने वाले कम्प्यूटरीकृत चार्ज/डाटा सेन्टर में आवश्यक संसाधन/सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्र दिनांक 30.8.2011 द्वारा जारी कर दिये गये हैं जो कि विभाग की वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर SECC2011 लिंक पर भी उपलब्ध है कृपया इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करें।

एसईसीसी (SECC)-2011 के कार्यों के लिये जिला कलेक्टर प्रमुख सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना अधिकारी {Principal SECC-2011 Officer अर्थात्~ PSO} के रूप में कार्य करेंगे। जनगणना कार्य को प्रारंभ से समापन तक सफलतापूर्वक एवं पूर्णगुणवत्ता से संचालित करने की प्रमुख जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। जैसा कि आपको ज्ञात है जनगणना से जुड़ी गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, फिर भी आपकी सुविधा के लिए इसके विभिन्न चरणों से जुड़े प्रमुख कार्यों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है। यह ध्यान रहे कि चिह्नित किये गए कार्य अपने आप में पूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं/परिस्थितियों के अनुसार जिला कलेक्टर इसमें आवश्यक संशोधन कर सकते हैं जिससे कि उनके जिले में जनगणना कार्य निर्बाध रूप से एवं सफलतापूर्वक संचालित हो सके। पीएसओ (PSO) के रूप में जिला कलेक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वो निम्न कार्यों के संदर्भ में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर निर्धारित समय सीमा में जनगणना का कार्य पूर्ण करायेगें।

I प्रगणना प्रारम्भ से पूर्व तैयारी हेतु जिला कलेक्टर के स्तर पर किये जाने वाले कार्य:-

1. **जिला स्तरीय सेल की स्थापना:-** विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2(1)ग्राविवि/14/SECC/2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के कार्य हेतु कार्यालय की स्थापना दिनांक 10.09.2011 तक कलेक्ट्रेट में की जावे, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाये यथा कम्प्युटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं दूरभाष/फैक्स की सुविधा उपलब्ध हो।
(पालना दिनांक 10.09.2011 तक)
2. **विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति:-** जिला कलेक्टर द्वारा SECC-2011 हेतु नियुक्त किए जाने वाले अधिकारीगण में उनको प्राथमिकता दी जाए जो पूर्व में जनगणना-2011 में किसी रूप से जुड़े रहे हो। दिनांक 10.09.2011 तक निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाये:-

- अ. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अथवा संमकक्ष अधिकारी को जिला सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी {**District SECC-2011 Officer** अर्थात् **DSO**} के रूप में।
- ब. जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं डी.आई.ओ., एन.आई.सी. को अतिरिक्त जिला सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी {**Adl. District SECC-2011 Officer** अर्थात् **Add. DSO**} (एडीएसओ) के रूप में।
- स. जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को सहायक जिला सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी (एडीएसओ) {**Asst. District SECC-2011 Officer** अर्थात् **Asst. DSO**} के रूप में।
- द. समस्त तहसीलदारों को चार्ज अधिकारी।

(पालना दिनांक 10.09.2011 तक)

3. उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये जिला/अतिरिक्त/सहायक/चार्ज अधिकारियों को नियुक्ति-पत्र के साथ-साथ परिशिष्ट-2 के अनुसार उनकी विशिष्ट भूमिका एवं जिम्मेदारियों के संबंध में अवगत कराना।

(पालना दिनांक 10.09.2011 तक)

4. अधिकारियों का नाम, पता, दूरभाष एवं ई-मेल की सूचना:- एस.ई.सी.सी. जनगणना 2011 में कार्य करने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का डाटाबेस निम्नांकित प्रारूप (MS-Excel) में तैयार कर ई-मेल sec2011raj@gmail.com पर दिनांक 25.9.2011 तक भिजवाये। प्रत्येक स्तर पर जारी किए जाने वाले नियुक्ति पत्र में भी मोबाईल नम्बर एवं दूरभाष नम्बरों का उल्लेख किया जाए जिससे कि सम्बंधित से आवश्यकता होने पर तत्काल सम्पर्क किया जा सके।

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदनाम (SECC)	घर का पता	मोबाईल नम्बर	लेण्डलाईन नम्बर			ई-मेल
						कोड.....			
						ऑफिस	घर	फैक्स न.	

(पालना दिनांक 25.09.2011 तक)

5. रसीद एवं स्टीकर का मुद्रण:- जनगणना के दौरान प्रत्येक हाउसहोल्ड को दी जाने वाली रसीद, जनगणना पूर्णता का, घर पर चस्पा किया जाने वाला स्टीकर एवं टेबलेट पी.सी.का पहचान स्टीकर (परि.-5 एवं 6 के अनुसार) समय के अभाव को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार अल्पकालीन निविदाओं के माध्यम से पर्याप्त संख्या में छपवाकर दिनांक 05.10.2011 तक चार्ज अधिकारी को उपलब्ध करवाये जाये।

(पालना दिनांक 05.10.2011 तक)

6. जनगणना-2011 कार्य हेतु उपयोग में लिए जाने वाले टेबलेट पी.सी (Tablet P.C.) को प्राप्त करना एवं सुरक्षित रखना:- जनगणना-2011 का कार्य बेल द्वारा उपलब्ध कराये गये टेबलेट पी.सी.के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। हाउसहोल्ड सम्बन्धी समस्त जानकारी का इन्द्राज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से टेबलेट पी.सी. (Tablet P.C.) में किया जाना है। 4 प्रगणना ब्लॉक (EB) पर 1 टेबलेट पी.सी. दी जायेगी। इन टेबलेट पी.सी.को बेल से जिला स्तर पर प्राप्त कर चार्ज कार्यालय स्तर पर भिजवाया जायेगा। अतः जिला एवं तहसील स्तर पर टेबलेट पी.सी.को सुरक्षित रखने हेतु स्टोर की व्यवस्था दिनांक 20.09.2011 तक सुनिश्चित की जावे। परिशिष्ट-6 के अनुसार प्रत्येक टेबलेट पी.सी.की अलग से पहचान के लिये उस पर एक स्टीकर लगाया जाये जिसमें टेबलेट पी.सी.की क्रम संख्या, प्रगणक का नाम एवं प्रगणक ब्लॉकों का नाम दर्ज किया जावे।
(पालना दिनांक 20.09.2011 तक)

7. संक्षिप्त मकान सूची(ए.एच.एल), ले-आउट मेप एवं चार्ज रजिस्टर को प्रगणन ब्लॉकवार चार्ज कार्यालय में उपलब्ध करवाना:- संक्षिप्त मकान सूची(ए.एच.एल), ले-आउट मेप एवं चार्ज रजिस्टर निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6 बी, झालानाडूगंरी जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाये जाने हैं अतः माह अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में जनगणना कार्य निदेशालय, जयपुर से दिनांक 05.10.2011 तक प्राप्त कर चार्ज कार्यालय पर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे, इन सूचनाओं का उपयोग चार्ज कार्यालय द्वारा जनगणना कार्य में किया जायेगा।
(पालना दिनांक 05.10.2011 तक)

8. मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर एवं मास्टर ट्रेनर का चिन्हिकरण एवं नियुक्ति:-प्रत्येक जिले से 2 मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर एवं प्रति चार्ज कार्यालय 3 मास्टर ट्रेनरों का चिन्हिकरण 10.09.2011 तक एवं नियुक्ति दिनांक 15.09.2011 तक की जायेगी। इनका चयन वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाचार्य, महाविद्यालय व्याख्याता आदि में से किया जायेगा। इनकी नियुक्ति प्राईमरी विद्यालय के शिक्षकों में से नहीं किया जाये।
(पालना दिनांक 15.09.2011 तक)

II- जिला कलेक्टर की निगरानी में तहसीलदार/चार्ज अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य:-

1. चार्ज कार्यालय की स्थापना:- चार्ज कार्यालय की स्थापना की जाये तथा उसमें आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये जाये। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 2(1)ग्रावि/14/SECC/2011 दिनांक 30.08.2011 के अनुसार कम्प्यूटीकृत चार्ज कार्यालय तैयार करवाया जाये। दिनांक 25.09.2011 तक प्रत्येक चार्ज कार्यालय का भौतिक सत्यापन एडीएसओ (एसडीएम) द्वारा किया जाये।

(पालना दिनांक 25.09.2011 तक)

2. बेल द्वारा तहसील स्तर पर डाटा एन्टTMी एवं टेबलेट पी.सी. ऑपरेटर्स उपलब्ध करवाना:- तहसील स्तर पर स्थापित होने वाले प्रत्येक चार्ज कार्यालय में 2 तकनीशीयन (Technician) एवं 2 डाटा एन्टTMी ऑपरेटर बेल द्वारा अपने वेण्डर्स के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। अतः वेण्डर्स के साथ आवश्यक कोर्डिनेशन कर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स एवं टेबलेट पी.सी.ऑपरेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

(पालना दिनांक 05.10.2011 तक)

3. प्रगणन ब्लॉक से संबंधित सूचना संकलित करना:- तहसील एवं राजस्व गांवों के नक्शों तैयार किये जाये तथा तहसीलवार ग्राम पंचायत की सूचना निम्न प्रारूप (MS-Excel) में तैयार की जावें।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	जनसंख्या	परिवारो की संभावित संख्या	इम्यूनेटर ब्लॉको की संख्या	प्रगणको की संख्या	कुल आवश्यक डाटाएन्ट्री ऑपरेटर की संख्या

4. प्रगणन ब्लॉक का गठन:- जनगणना 2011 में गठित प्रगणन ब्लॉकों को ही SECC 2011 के लिये प्रगणन ब्लॉक माना जायेगा।

5. प्रगणकों की नियुक्ति - प्रत्येक चार प्रगणक ब्लॉकों पर 1 प्रगणक नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाये की कर्मचारी की नियुक्ति प्रगणना कार्य हेतु उस क्षेत्र में ना की जाये जिस क्षेत्र में वह कार्यरत है। प्रगणकों की नियुक्ति प्राईमरी विद्यालय के शिक्षकों में न की जाये।

(पालना-चिह्नित दिनांक 10.09.2011 एवं नियुक्ति दिनांक 15.09.2011 तक)

6. सुपरवाईजर्स की नियुक्ति - 6 प्रगणकों पर 1 सुपरवाईजर की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कर्मचारी की नियुक्ति प्रगणना कार्य हेतु उस क्षेत्र में ना की जाये जिस क्षेत्र में वह कार्यरत है।

(पालना-चिह्नित दिनांक 10.09.2011 एवं नियुक्ति दिनांक 15.09.2011 तक)

7. सुपरवाईजर एवं प्रगणकों को जनगणना कार्य हेतु किट उपलब्ध करवाना:- सुपरवाईजर एवं प्रगणकों को दी जाने वाली किट की खरीद एवं उपलब्धता 10 अक्टूबर, 2011 तक सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। इसके लिए नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित की जाए जिसमें कि निर्धारित मात्रा में किट 10.10.2011 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध हो सके।

(पालना दिनांक 10.10.2011 तक)

8. **प्रगणकों एवं सुपरवाईजरों का समयबद्ध प्रशिक्षण:-** प्रगणकों एवं सुपरवाईजरों का परिशिष्ट-3 के अनुसार प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार कराया जाकर 31 अक्टूबर, 2011 तक प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।
(पालना दिनांक 31.10.2011 तक)
 9. **टेबलेट पी.सी.ऑपरेटर्स का सघन प्रशिक्षण:-** यह प्रशिक्षण वेण्डर द्वारा प्रदान किया जाना है। ऑपरेटर्स के साथ-साथ प्रगणकों को भी प्रशिक्षित किया जाना है। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण अतिआवश्यक है। अतः दोनो ही प्रशिक्षणों में उपयोगी प्रश्नावली के माध्यम से प्रगणकों एवं ऑपरेटर्स द्वारा लिए गए प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। मूल्यांकन में पीछे रहने वालों प्रगणकों एवं ऑपरेटर्स को या तो बदल दिया जाये अथवा उन्हें पुनः प्रशिक्षित कर उनकी जानकारी के स्तर को वांछित स्तर तक लाएँ अन्यथा जनगणना के कार्य निष्पादन में कठिनाई होने की सम्भावना रहेगी। (प्रश्नावली पुस्तिका अलग से उपलब्ध करायी जायेगी)
- III- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के विषय में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं आमजन को जानकारी दिये जाने के सम्बन्ध में :-**
1. **पंचायतराज के जनप्रतिनिधियों की बैठक:-** SECC-2011 के संबंध में जानकारी देने हेतु जिला परिषद की बैठक सितम्बर माह के तृतीय सप्ताह में, पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सितम्बर माह के चतुर्थ सप्ताह में (पंचायतीराज विभाग द्वारा माह के अंतिम सप्ताह का शुक्रवार का दिन जिला परिषद की बैठक के लिए पूर्व से निर्धारित है) को आयोजित करें एवं 2 अक्टूबर को होने वाली समस्त ग्राम सभाओं में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के संबंध में जानकारी दी जाये। ग्राम सभाओं में दी जाने वाली जानकारी का विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।
 2. **प्रेस के माध्यम से सूचना:-** स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से जनगणना में जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का प्रेस नोट जारी करें जिससे कि आमजन को इसकी जानकारी प्राप्त होती रहे। इस सम्बन्ध में कोई व्यय नहीं किया जावे, क्योंकि इस मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं है। (आवश्यकतानुसार प्रेस नोट जारी करें)
 3. **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के द्वारा कार्यशाला:-** पंचायती राज जनप्रतिनिधियों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी के लिये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ओर से नियुक्त वेण्डर द्वारा जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर एक दिवस एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आधे दिवस का प्रशिक्षण आयोजित किया जाये जिसमें जनगणना कार्य की जानकारी के साथ टेबलेट पी.सी.के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाये। उक्त प्रशिक्षण आयोजित करने

में होने वाला व्यय बेल (BEL) वेण्डर द्वारा वहन किया जायेगा। (जिला स्तर पर 1 से 5 अक्टूबर के मध्य, पंचायत समिति स्तर पर 6 से 10 अक्टूबर के मध्य एवं ग्राम पंचायतों में 11 से 30 अक्टूबर के मध्य)

IV प्रगणना के दौरान जिला कलेक्टर की निगरानी में चार्ज अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. यदि किसी संक्षिप्त मकान सूची (Abridged House list) में कोई हाउस होल्ड छूट गया हों तो लिस्ट को अद्यतन करें।

(पालना प्रगणन कार्य के साथ)

2. प्रगणक द्वारा प्रत्येक घर का विजिट किया जाना अनिवार्य है। घर बंद मिलने/परिवार सदस्यों के नहीं मिलने के कारण उस हाउस होल्ड की विजिट/प्रगणना नहीं होने पर प्रत्येक दिन की समाप्ति पर प्रगणक द्वारा ऐसे बंद मिले घरों की संख्या सुपरवाइजर को सूचित की जायेगी तथा आगामी कार्य दिवसों में उन घरों का पुनः विजिट किया जायेगा। सुपरवाइजर इस संबंध में सुनिश्चित करे कि सभी घरों की विजिट अनिवार्य रूप से पूरी की जाये। यदि ब्लॉक के प्रगणन कार्य पूर्ण होने पर भी ऐसे हाउसहोल्ड बच जाते हैं तो सुपरवाइजर द्वारा इसकी सूचना चार्ज अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को दी जायेगी। चार्ज अधिकारी अन्तिम रूप से उस हाउस होल्ड का विजिट किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(पालना प्रगणन कार्य के साथ)

3. सुपरवाइजर द्वारा निर्धारित संख्या में हाउस होल्ड का विजिट करें एवं प्रगणक द्वारा यदि किसी हाउस होल्ड के बारे में कोई अन्यथा टिप्पणी की गई है तो उसको अनिवार्य रूप से सुपरवाइजर द्वारा विजिट कर अंतिम निर्णय लिया जाये।

(पालना प्रगणन कार्य के साथ)

V प्रगणना के दौरान जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने वाले पर्यवेक्षणीय कार्य:-

- (क) प्रगणना के दौरान पारदर्शिता:- भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रगणन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु (i) ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति, स्थानीय अध्यापक एवं अन्य इच्छुक व्यक्ति को जनगणना टीम के साथ रहने की अनुमति दी जावे एवं (ii) प्रगणक की जानकारी एवं प्रतिवादी द्वारा दी गई सूचना में विरोधाभास होने की स्थिति में चर्चा के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

- (ख) प्रगणना के दौरान निरीक्षण:- उस क्षेत्र के समस्त उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा 0.50 प्रतिशत परिवारों का निरीक्षण किया जायेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के 25-25 परिवारों का निरीक्षण किया जायेगा। जिला कलेक्टर द्वारा जिले के 100 परिवारों का रेण्डम बेसिस पर निरीक्षण किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा

अलग-अलग ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया जाये। किसी भी ग्राम पंचायत में निरीक्षण की पुनर्वावर्ति ना हो।
(पालना प्रगणन कार्य के साथ)

(ग). चार्ज अधिकारी द्वारा प्रगणक से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना:- प्रगणक प्रत्येक हाउस होल्ड के घर प्रगणन कार्य हेतु जाये, यह सुनिश्चित किया जाये। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रत्येक प्रगणक से उसके द्वारा एन्यूमरेशन ब्लॉक का कार्य पूर्ण होने पर प्राप्त किया जाये। इसी प्रकार प्रत्येक चार्ज कार्यालय क्षेत्र में कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र चार्ज अधिकारी से लिया जाये। प्रगणक द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(पालना प्रगणन कार्य के साथ)

(घ). चार्ज कार्यालय स्तर पर जनगणना की दैनिक सूचना को NIC के Main Server पर अपलोड करना:- प्रतिदिन जनगणना कार्य की सूचना चार्ज कार्यालय में टेबलेट पी.सी.से एनआईसी के मैन सरवर (Main Server) में हस्तान्तरित की जायेगी। इसके लिये चार्ज कार्यालय में 24x7 विद्युत आपूर्ति एवं इन्टरनेट की सुविधा रखना अनिवार्य है जैसा कि इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30.08.2011 में वर्णित है।

(पालना प्रगणन कार्य के साथ)

VI. विभुक्त, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तू एवं आवासहीन परिवारों की जनगणना के संबंध में:-

प्रत्येक जिला कलेक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वो स्वयं के जिले में निवास करने वाले घुमन्तु जाति, आवासहीन परिवार एवं इस श्रेणी के अन्य लोगों की सूचना जनगणना कार्य के दौरान आवश्यक रूप से दर्ज करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि जनगणना के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान सावधानी से उपरोक्त श्रेणी के समस्त परिवारों की सूचना दर्ज की जाय। इसके अलावा एहतियात के तौर पर जिले की समस्त जनगणना कार्य के पूर्ण होने के पश्चात एक बार पुनः तीन से पाँच दिवस का अभियान चलाया जाय जिससे कि उपरोक्त वर्णित श्रेणी के परिवार में से किन्हीं कारणों से सूचना दर्ज कराने से वंचित रहे परिवारों को अपनी सूचना दर्ज कराने का मौका मिल सके।

इस अभियान में जिला समाज कल्याण अधिकारी के अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समुदायवार चिह्नित नोडल व्यक्ति से सम्पर्क कर उपरोक्त वर्णित तीन से पाँच दिवसीय अभियान का संचालन किया जाय जिससे कि समुदाय के प्रभावशाली व्यक्ति/चिह्नित नोडल नागरिक द्वारा उनके समुदाय को इस जनगणना कार्य से जोड़ा जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिलेवार चिह्नित नोडल नागरिकों की सूची परिशिष्ट 13 पर संलग्न है जिनसे सम्पर्क कर प्रभावशाली ढंग से उक्त अभियान सम्पादित कराया जा सकता है।

VII प्रगणना के उपरान्त जिला कलेक्टर की निगरानी में चार्ज अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. मसौदा प्रकाशन (Draft Publication)- मसौदा सूची ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय, चार्ज केन्द्र और जिला कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध करायी जाएगी।

यह सूची एन.आई.सी. /राज्य सरकार/ ग्रामीण विकास मंत्रालय/ आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करायी जाएगी।

2. मसौदा सूची में प्रकाशित सूचना के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले सभी दावों एवं आपत्तियों के निपटान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।


उपरोक्त के सन्दर्भ में जिला/चार्ज कार्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्यों का विवरण मय तिथि परिशिष्ट-1 पर दी गई है। कृपया अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथियों तक आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि जनगणना का कार्य समयबद्ध रूप से निष्पादित हो सके।



अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं नोडल
अधिकारी SECC-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव (समस्त), राजस्थान जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
10. शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
12. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, 6-बी, झालाना डुगरी, जयपुर।
13. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, जयपुर।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. जिला सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी, समस्त (अतिरिक्त जिला कलक्टर)।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला परिषद स्तर से जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच एवं समस्त विकास अधिकारियों को सूचित करें।
17. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
18. अतिरिक्त जिला सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी, समस्त (जिला सांख्यिकी अधिकारी)।
19. सहायक जिला सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011, अधिकारी, समस्त (उपखण्ड अधिकारी)।
20. चार्ज अधिकारी, सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011, समस्त (तहसीलदार)।
21. गार्ड फाईल।


शासन सचिव

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 हेतु
तिथिवार किये जाने वाले कार्यों का विवरण

क्र. सं.	दिनांक	कॉलम संख्या 2 में दी गई दिनांक तक की जाने वाली कार्यवाही
1.	2	3
1	10.09.2011	जिला स्तर पर पृथक से कार्यालय की स्थापना
2.	10.09.2011	एडीएम (प्रशासन)/समकक्ष स्तर के चिह्नित अधिकारी की जिला सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी के रूप में नियुक्ति
3.	10.09.2011	जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं डीआईओ, एनआईसी को अतिरिक्त जिला सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी के रूप में एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति
4	10.09.2011	सुपरवाईजर्स का चिन्हिकरण
	15.09.2011	सुपरवाईजर्स की नियुक्ति
5	10.09.2011	प्रगणकों का चिन्हिकरण
	15.09.2011	प्रगणकों की नियुक्ति
6	10.09.2011	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर एवं मास्टर ट्रेनर का चिन्हिकरण
	15.09.2011	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर एवं मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति
7	20.9.2011	टेबलेट पी.सी के लिए स्टोर की व्यवस्था
8	25.9.2011	प्रत्येक चार्ज कार्यालय का उपखण्ड अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन
9	10.10.2011	प्रगणकों एवं सुपरवाईजर्स को दी जाने वाली किट की खरीद एवं उपलब्धता
10.	5.10.2011	जनगणना उपरान्त दी जाने वाली रसीद एवं घर पर चस्पा किये जाने वाले स्टीकर प्रगणकों को उपलब्ध कराया जाना।
11	25.09.2011	अधिकारियों के डाटाबेस का प्रेषण
12	15.10.2011	तहसीलवार ग्राम पंचायत की सूची एवं अन्य सूचना तैयार करना।
13	25.09.2011	चार्ज कार्यालय का भौतिक सत्यापन किया जाना
14	20.09.2011	टेबलेट पी.सी. को रखने हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर स्टोर रूम चिह्नित करना।
15	05.10..2011	टेबलेट पी.सी., डाटा एन्ट्री व टेबलेट पी.सी. ऑपरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

16	21.09.2011 से 30.09.2011	मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम
17	05.10.2011 से 31.10.2011	प्रगणक एवं सुपरवाईजर्स एवं टेबलेट पीसी ऑपरेटरर्स का चार्ज कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
18	5.10.2011	संक्षिप्त मकान सूची (एएचएल लिस्ट), ले-आउट मेप एवं चार्ज रजिस्टर जनणगना कार्य निदेशालय जयपुर से प्राप्त करना।
19.	12-16.9.2011	जिला परिषद की बैठक
20	19-23.09.2011	पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक
21	02.10.2011	ग्राम सभाओं की बैठक
22	1-05.10.2011	जिला स्तर पर पंचायतीराज एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को बेल द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला
23	06-10.10.2011	पंचायत समिति स्तर पर पंचायतीराज एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को बेल द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला
24	11-30.10.2011	ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतीराज एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को बेल द्वारा आधा (1/2) दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला
25.	1.11.2011 से	जनगणना कार्य प्रारम्भ
26.	जनगणना कार्य पूर्ण होने के पश्चात 3 से 5 दिवस	विभुक्त, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं आवासहीन परिवारों की जनगणना हेतु विशेष अभियान
27.	जनगणना समाप्ति के एक सप्ताह में	सर्वे प्रश्नावली की सूचनाओं के आधार पर ड TM फ्ट सूची का प्रकाशन
28.	ड TM फ्ट सूची के प्रकाशित होने के 21 दिन की अवधि तक	ड TM फ्ट सूची के विरुद्ध दावे एवं आपत्तियां
29.	ड TM फ्ट सूची के प्रकाशित होने के 31 वे दिन	अन्तिम सूची का प्रकाशन

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के प्रमुख अधिकारी (PSO)
की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ

1. जिला या नगरपालिका या पंचायत क्षेत्र आदि में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के लिए नियुक्त किये जाने वाले जिला या सब-डिविज़नल अधिकारियों या प्रभारी अधिकारियों की आवश्यक संख्या निर्धारित करना।
2. प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में एन्यूमरेशन ब्लॉक (EB) के नक्शे एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपरोक्त स्तर पर उपलब्ध कराना।
3. जिला या नगरपालिका या पंचायत क्षेत्र एवं कस्बा क्षेत्र की सीमा तक सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 आयोजित करवाना, सहायोग करना एवं सुपरवाइज करना तथा भरी हुई एवं रिक्त अनुसूचियों को जनगणना निदेशालय पर निर्धारित अवधि में भेजना।
4. जनगणना निदेशालय/नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रगणकों, सुपरवाइज़रों एवं प्रभारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना ताकि वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकें।
5. राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण द्वारा पूर्व मंजूरी से दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही करना एवं मुकदमा चलाना।
6. जनगणना कार्य की सूचना का प्रारूप प्रकाशन उनसे संबंधित अपील को व्यवस्थित ढंग से प्राप्त करना एवं उनका समयबद्ध निस्तारण करना तथा अंतिम प्रकाशन करना।
7. जनगणना कार्य से जुड़े अन्य समस्त कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण, प्रबोधन एवं निरीक्षण जिससे कि जनगणना कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादित हो सकें।
8. जनगणना कार्य की प्रक्रिया से संबंध में जन प्रतिनिधिगण, गैर सरकारी संस्थाओं एवं मीडिया को भली-भाँति अवगत करना जिससे की जनगणना कार्य सुचारु रूप से संपादित हो सकें।
9. निर्धारित मापदंडों के अनुसार जनगणना के दौरान टेस्ट चैकिंग (Test Checking) करना।
10. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के सफल आयोजन हेतु ऐसे किसी भी अन्य आवश्यक कार्य को पूरा करना।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के
जिला/अतिरिक्त/सहायक जिला अधिकारी की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ

1. जिला एवं सब-डिविज़न स्तर पर सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के लिए नियुक्त किये जाने वाले आवश्यक प्रभारी अधिकारियों की संख्या निर्धारित करना।
2. जनगणना निदेशालय/नोडल अधिकारी के दिशानिर्देशानुसार जिले के क्षेत्र का सपष्ट सीमांकन के साथ प्रभार, सुपरवाइजरी वृत्त तथा प्रगणक के ब्लॉक में विभाजन करना।
3. गाँवों एवं कस्बों की आज तक की सूची का संकलन एवं उनके क्षेत्राधिकार के नक्शे तैयार होना सुनिश्चित करना।
4. जनगणना निदेशालय/नोडल अधिकारी की आवश्यकता अनुसार संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन में सहायता करना।

परिशिष्ट-2 (निरन्तर)

5. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 का उचित प्रचार-प्रसार करवाना ताकि लोगों से बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके।
6. प्रभारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रगणकों, सुपरवाइजर्स एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करना ताकि वे अपने कार्य कुशलता से पूर्ण करने में सक्षम हो सकें। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के प्रमुख अधिकारियों (पी.एस.ओ.) की सहायता करना।
7. पूर्ण जिले के प्रगणकों के सारांशों या विवरणों को समेकित करना।
8. निर्धारित मापदंडों अनुसार जनगणना के दौरान टेस्ट चैकिंग (Test Checking) करना।
9. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के सफल आयोजन हेतु ऐसे किसी भी अन्य आवश्यक कार्य को पूरा करना।

प्रभारी अधिकारी/चार्ज अधिकारी की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

1. अपने अधिकार क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वाले सुपरवाइजर्स एवं प्रगणकों की आवश्यक संख्या का निर्धारण करना।
2. जनगणना निदेशालय/नोडल अधिकारी के दिशानिर्देशानुसार, निश्चित समयावधि के अर्न्तगत कुछ मूल दस्तावेज तैयार करना जैसे सामान्य गांव रजिस्टर तथा चार्ज रजिस्टर।
3. अपने आप को प्रगणना के दिशानिर्देशों से परिचित कराना एवं सुपरवाइजर्स एवं प्रगणकों को प्रशिक्षित करने हेतु जिम्मेदार होना ताकि वे अपने कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण कर सकें।
4. यह सुनिश्चित करना कि कार्य निर्धारित समयावधि में किये जा रहे हैं।
5. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 हेतु पूर्ण कवरेज, यर्थाथता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करना।
6. कम्प्यूटरीकृत चार्ज कार्यालय का 24x7 में कार्यरत रखना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करना की (Tablet-PC) सुरक्षित रखे जा सके।
7. प्रतिदिन प्रगणकों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करना, प्रभावी प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण करना जिससे कि जनगणना कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके।
8. संबंधित मापदण्ड अनुसार मौके पर (Test checking) करना।
9. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के सफल आयोजन हेतु ऐसे किसी भी अन्य आवश्यक कार्य को पूरा करना।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 हेतु प्रशिक्षण प्लान का प्रारूप

ग्रामीण/शहरी राज्य/के0शा0प्र0.....

--	--

जिला.....

--	--

अ. प्रभारी अधिकारियों का प्रशिक्षण:

प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षण स्थल का पत्रव्यवहार का पता	स्थल प्रभारी का नाम एवं फोन नम्बर	क्या स्थल पर बिजली का कनेक्शन है?	बैच का आकार
1	2	3	4	5

ब. सुपरवाइजर्स एवं प्रगणकों का प्रशिक्षण:

प्रभार संख्या एवं नाम	प्रशिक्षण तिथि(याँ)	प्रशिक्षण स्थल का पत्रव्यवहार का पता	स्थल प्रभारी का नाम एवं फोन नम्बर	क्या स्थल पर बिजली का कनेक्शन है?	बैच का आकार (अधिकतम 50)
1	2	3	4	5	6

प्रमुख अधिकारी (PSO) सा0आ0जा0ज0-2011 के हस्ताक्षर
दिनांक एवं मोहर सहित

प्रशिक्षण कलेंडर

TRAINERS LEVEL	NOs. OF TRAINEES	IDENTIFICATION BY WHOM	TRAINING BY WHOM	IDENTIFICATION TILL	TRAINING SCHEDULE
NATIONAL TRAINERS (NTs)	3+3+1	GoR / Directorate of Census	GoI	10.09.2011	To be decided by GoI
MASTER TRAINER FACILITATORS (MTFs)	2 (For Each District)	District Collector	NT	10.09.2011	05.09.2011 TO 20.09.2011
MASTER TRAINERS (MTs)	3 for Each Charge Office	District Collector	MTFS	10.09.2011	21.09.2011 TO 30.09.2011
SUPERVISORS / ENUMERATORS	34265* (Whole State)	Charge Officers	MT	15.09.2011	05.10.2011 TO 31.10.2011

*50-55 प्रगणकों/सुपरवाइजर्स का एक बैच होगा जिसे मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011(परिपत्र-3)
जिला कलक्टर स्तर पर किये जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश

प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों के प्रगणन कार्य हेतु किट की सामग्री एवं क्रय प्रक्रिया

I. प्रगणक किट की सामग्री

1. प्रगणक हेतु निर्देश पुस्तिका (राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी)
2. जलरोधक बैग/सामान रखने हेतु पॉलिथीन का कवर,
3. हेन्ड हेल्ड डिवाइस रखने हेतु बोर्ड - ए4 साईज का,
4. पावती रसीद लिखने हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले बॉल पेन (जेल पेन न हों), मात्रा- 2,
5. 10 कार्बन पेपर,
6. रंगीन चॉक-(घरों पर नम्बर डालने हेतु), मात्रा -1 बॉक्स,
7. इंक पैड (आवश्यकता पड़ने पर उत्तरदाता के अंगुठे का निशान लगवाने हेतु), मात्रा -1,
8. दर्जी की चाक -इमारतों/जनगणना भवनों पर नम्बर डालने हेतु, मात्रा -1
9. जनगणना कार्य की पूर्णता दर्शाने वाले स्टिकर, मात्रा - 150 स्टिकर्स

II. सुपरवाइजर किट की सामग्री

1. प्रगणक हेतु निर्देश पुस्तिका (राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी)
2. जलरोधक बैग/सामान रखने हेतु पॉलिथीन का कवर,
3. हेन्ड हेल्ड डिवाइस रखने हेतु बोर्ड - ए4 साईज का,
4. अच्छी गुणवत्ता वाले बॉल पेन (जैल पेन न हों), मात्रा- 2,
5. रंगीन चॉक-(घरों पर नम्बर डालने हेतु), मात्रा -1 बॉक्स,
6. इंक पैड(आवश्यकता पड़ने पर उत्तरदाता के अंगुठे का निशान लगवाने हेतु) मात्रा -1,
7. दर्जी की चाक -इमारतों/जनगणना भवनों पर नम्बर डालने हेतु, मात्रा -1
8. जनगणना कार्य की पूर्णता दर्शाने वाले स्टिकर, मात्रा - 25 स्टिकर्स

III. क्रय प्रक्रिया

1. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 हेतु क्रय की जाने वाली समस्त सामग्री/सुविधायें वित्त विभाग के नियमानुसार क्रय की जायेगी। जिस हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार क्रय कमेटी का गठन किया जावे, जिसकी अभिशंषा पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरान्त सामग्री/सुविधायें क्रय की जायेगी -
 - अ. अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 - ब. कोषाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला परिषद (ग्रा. वि. प्रकोष्ठ)/अन्य समकक्ष अधिकारी
 - स. जिला सांख्यिकी अधिकारी
 - द. उपखण्ड अधिकारी (मुख्यालय)
2. उपरोक्त विवरण के बिन्दु संख्या I एवं II में दर्शायी गई सामग्री जिला स्तर पर क्रय की जायेगी। जिसकी अनुमानित अधिकतम लागत प्रति किट 100/- (रूपये एक सौ मात्र) होगी।



सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011
पावती रसीद बुकलेट का प्रथम पृष्ठ (कवर पेज)

परिशिष्ट-5

पहचान के विवरण:

1. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम.....कोड

1. तहसील/तालूक/पं.स./विकास
खण्ड/वृत्त/मण्डल इत्यादि का नामकोड

1. वार्ड कोड (केवल कस्बों हेतु).....कोड

सुपरवाइजर का नाम.....

हस्ताक्षर..... दिनांक.....

बुक संख्या (पूर्व मुद्रित)

क्रम संख्या:001-150

2. जिले का नाम.....कोड

4. कस्बे/गांव का नाम.....कोड

2. हाउस लिस्टिंग ब्लॉक संख्या.....कोड

3. प्रगणना ब्लॉक/उप ब्लॉक संख्या.....कोड

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का नाम.....कोड

हस्ताक्षर..... दिनांक.....

प्रगणक का नाम

हस्ताक्षर..... दिनांक.....

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011
(टेबलेट पी.सी.का पहचान स्टीकर)

जिला -

चार्ज कार्यालय(तहसील) -

1. आपरेटर का नाम -
2. टेबलेट पी.सी.की क्रम संख्या -
3. चारों प्रगणक ब्लॉकों की कोड संख्या -1. 2. 3. 4.
4. उपयोग प्रारम्भ/टेबलेट पी.सी.उपलब्ध कराने की तिथि -
5. कार्य समाप्ति/टेबलेट पी.सी.लौटाने की सम्भावित तिथि -

अधिकारी/वेण्डर के हस्ताक्षर

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 की विशेषताओं एवं प्रक्रिया के सम्बंध में ग्राम सभाओं में दी जाने वाली जानकारी के महत्वपूर्ण बिन्दु

1. प्रथम बार बीपीएल जनगणना के स्थान पर सामाजिक एवं आर्थिक गणना की जायेगी जिससे परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर का पता लग सके। एकत्रित की गई सूचनाओं के आधार पर बीपीएल परिवारों की सूची तैयार की जायेगी।
2. जनगणना में जाति की सूचना भी एकत्रित की जायेगी जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सकें।
3. जनगणना कार्य पेपर लेस होगा। समस्त जानकारियाँ टेबलेट पी.सी. (Tablet-PC) पर एकत्रित की जायेगी।
4. जनगणना में हाऊसहोल्ड द्वारा दी गई सूचनाओं को स्वीकार किया जायेगा इसके लिये किसी की स्पोर्टिंग डोक्यूमेन्ट्स की मांग नहीं की जायेगी।
5. जनगणना के दौरान प्रगणक एवं टेबलेट पी.सी. ऑपरेटर (Tablet-PC Operator) का दल समस्त घरों का विजिट करेगा जिनके पास आवश्यक पहचान पत्र होंगे।
6. जनगणना कार्य को ट्रांसपरेन्ट बनाये रखने के लिए प्रगणक के साथ जन प्रतिनिधिगण सरकारी कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति साथ रह सकते हैं।
7. टेबलेट पी.सी. (Tablet-PC) के उपयोग एवं इसकी कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी जावे।
8. जनगणना कार्य पूर्ण होने तक ड्राफ्ट प्रकाशित किया जायेगा जो कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय एवं भारत एवं राज्य सरकार की वेब साईट पर उपलब्ध होगा। गलत सूचना/नाम छूट जाने/गलत नाम जुड़ने के संबंध में इसके प्रकाशन के 21 दिन तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी जिसका निस्तारण 7 दिन में कर दिया जायेगा।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011

जिले का नाम

चार्ज कार्यालय का नाम

मैं(प्रगणक का नाम) प्रमाणित करता हूँ की मुझे आवंटित एम्यूनरेशन ब्लॉक (एम्यूनरेशन ब्लॉक का नाम एवं कोड संख्या) में स्थित समस्त हाऊसहोल्ड जिनकी संख्या.....है की विजिट कर समस्त सूचनायें एकत्रित कर चार्ज कार्यालय में अपलोड करा दी गई है। उक्त एम्यूनरेशन ब्लॉक में मेरी जानकारी में कोई भी व्यक्ति जनगणना कार्य से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर प्रगणक

मैं..... (सुपरवाईजर का नाम) प्रमाणित करता हूँ की उक्त घोषण के संबंध में मेरे द्वारा आवश्यक जाँच पडताल कर ली गई है और उक्त घोषण पूर्णतः सही हैं।

हस्ताक्षर सुपरवाईजर

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011(परिपत्र-3)
जिला कलक्टर स्तर पर किये जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011

(सा0आ0जा0ज0-2011 के ड्राफ्ट प्रकाशन में शामिल सूचनाओं पर अपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र)

क्रम संख्या.....(कार्यालय के प्रयोग हेतु)

दिनांक.....

चार्ज अधिकारी (तहसीलदार)

सा0आ0जा0ज0-2011

तहसील.....

जिला.....

राज्य.....

महोदय / महोदया,

मैं सा0आ0जा0ज0-2011 के लिए परिवार द्वारा दी गयी जानकारी पर आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सूचना(एँ) जिन पर मुझे आपत्ति है तथा आपत्ति(यों) का कारण प्रत्येक परिवार के सामने नीचे उल्लेखित है।

क्र. सं.	परिवार की क्रम संख्या	परिवार के मुखिया का नाम	सूचना जिस पर आपत्ति है	आपत्ति का कारण
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

मैं एतद्वारा निम्नलिखित दस्तावेज साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ:

क्र. सं.	सहायक दस्तावेज
1	2
1	
2	
3	

परिशिष्ट-9 (निरन्तर)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त आपत्ति(याँ) तथ्यों के मेरे व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा उठायी गयी आपत्तियों की पुष्टि हेतु मुझसे कहा जाता है तो आवश्यकता पड़ने पर मैं उपस्थित होने के लिए तैयार रहूँगा।

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान.....

नाम.....

वर्तमान पता.....

टेलीफोन/मोबाईल नम्बर.....दिनांक.....

----- (यहां से काटें) -----

रसीद

क्रम संख्या.....(उपरोक्त अनुसार)

दिनांक.....

सा0आ0जा0ज0-2011 के ड्राफ्ट प्रकाशन में शामिल सूचनाओं पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिए अपत्ति प्रस्तुत करने हेतुसे एक प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाता है। इनकी आपत्ति की(नियुक्त अधिकारी) द्वारा(दिनांक) को(समय) बजे.....(स्थान) पर सुनवाई एवं निपटारा किया जायेगा। ये सुनवाई के दौरान उपस्थित रह सकते हैं।

प्राप्तकर्ता अधिकारी.....

कस्बे/तहसील का नाम.....

जिला/राज्य.....

परिशिष्ट-10

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011

(सा0आ0जा0ज0-2011 के ड्राफ्ट प्रकाशन में शामिल सूचनाओं को सही करने/सुधारने हेतु प्रपत्र)

क्रम संख्या.....(कार्यालय प्रयोग हेतु) दिनांक.....

चार्ज अधिकारी (तहसीलदार)

सा0आ0जा0ज0-2011

तहसील.....

जिला.....

राज्य.....

महोदय / महोदया,

मैं सा0आ0जा0ज0-2011 के लिए परिवार द्वारा दी गयी जानकारी पर आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सूचना(ए) जिन पर मुझे आपत्ति है तथा प्रत्येक आपत्ति का कारण नीचे उल्लेखित है।

क्र. सं.	ड्राफ्ट प्रकाशन में शामिल सूचना की क्रम संख्या	आपत्ति के विषय का ब्यौरा	जैसा प्रकाशित है	जैसा वांछित हो	टिप्पणी / साक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

मैं यह घोषणा करता हूँ कि निवेदन किये गये उपरोक्त बदलाव अभी तक की वास्तविक स्थिति पर आधारित हैं।

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान.....

नाम.....

वर्तमान पता.....

टेलीफोन / मोबाईल नम्बर.....दिनांक.....

(यहां से काटें)

रसीद

क्रम संख्या.....(उपरोक्त अनुसार)

दिनांक.....

सा0आ0जा0ज0-2011 के ड्राफ्ट प्रकाशन में शामिल सूचनाओं पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिए आपत्ति प्रस्तुत करने हेतुसे एक प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाता है। इनकी आपत्ति की(नियुक्त अधिकारी) द्वारा(दिनांक) को(समय) बजे.....(स्थान) पर सुनवाई एवं निपटारा किया जायेगा। ये सुनवाई के दौरान उपस्थित रह सकते हैं।

प्राप्तकर्ता अधिकारी.....

कस्बे / तहसील का नाम.....

जिला / राज्य.....

परिशिष्ट-11

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011

सा0आ0जा0ज0-2011 के ड्राफ्ट प्रकाशन की सूचनाओं में शामिल किये जाने हेतु दावा प्रपत्र

(उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें सा0आ0जा0ज0-2011 में शामिल नहीं किया गया/जो प्रगणना के समय अपने निवास पर नहीं थे)

क्रम संख्या.....(कार्यालय प्रयोग हेतु) दिनांक.....

चार्ज अधिकारी (तहसीलदार)
सा0आ0जा0ज0-2011

तहसील.....
जिला.....
राज्य.....

विषय: सा0आ0जा0ज0-2011 में शामिल किये जाने हेतु निवेदन

महोदय/महोदया,

मैं यह घोषणा करता हूँ कि सा0आ0जा0ज0-2011 की सूचनाओं के ड्राफ्ट प्रकाशन हेतु आयोजित प्रगणना में, मुझे शामिल नहीं किया गया/के समय मैं अपने सामान्य निवास पर मौजूद नहीं था इसलिए मुझे सा0आ0जा0ज0-2011 में कवर नहीं किया गया था।

अतः निवेदन है कि सा0आ0जा0ज0-2011 की सूचनाओं से संबंधित ड्राफ्ट प्रकाशन में मेरा नाम/मेरे परिवार का विवरण पंजिकृत किया जाये।

मैं अपना विस्तृत ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विचारने हेतु संलग्न कर रहा हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस निवेदन से पूर्व किसी अन्य स्थान पर मेरी प्रगणना नहीं की गयी थी तथा मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पंजिकरण हेतु ऐसा निवेदन किसी अन्य निर्धारित ऑथोरिटी को प्रस्तुत नहीं करूंगा। मैं यह जानता हूँ कि अगर नियमों के विरुद्ध ऐसा निवेदन एक से अधिक स्थान पर प्रस्तुत करते हुए मुझे पाया जाता है तो मुझे दंडात्मक/कानूनी कार्यवाही के योग्य माना जायेगा।

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान.....
नाम.....
वर्तमान पता.....
टेलीफोन/मोबाईल नम्बर.....दिनांक.....

आपका आभारी,
(.....)
नाम.....
वर्तमान पता.....

संलग्न: दस्तावेजों के साथ भरे हुए सा0आ0जा0ज0 के प्रपत्र

दिनांक.....
स्थान.....

रसीद

क्रम संख्या.....(उपरोक्त अनुसार)

दिनांक.....

सा0आ0जा0ज0-2011 के ड्राफ्ट प्रकाशन में शामिल करने के लिए (छूटे गये या उपलब्ध नहीं थे) सरकार द्वारा विचार किये जाने हेतुसे एक प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाता है। इनकी आपत्ति की(नियुक्त अधिकारी) द्वारा(दिनांक) को(समय) बजे.....(स्थान) पर सुनवाई एवं निपटारा किया जायेगा। ये सुनवाई के दौरान उपस्थित रह सकते हैं।

प्राप्तकर्ता अधिकारी.....
कस्बे/तहसील का नाम.....
जिला/राज्य.....

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011
(उस व्यक्ति के लिए नोटिस जिस पर आपत्ति की गयी है)

प्रेषित

(व्यक्ति जिस पर आपत्ति की गयी है, का पूरा नाम एवं पता)

संदर्भ: आपत्ति संख्या.....

सा0आ0जा0ज0-2011 की सूचनाओं के ड्राफ्ट प्रकाशन में ग्राम/ब्लॉक.....में क्रम संख्या .
.....पर आपका नाम शामिल किये जाने पर आपत्ति का नोटिस आपको दिया जाता है। यह आपत्ति.

.....
.....(आपत्तिकर्ता का पूरा नाम एवं पता) द्वारा प्रस्तुत की गयी है जिसकी सुनवाई.....

.....(नियुक्त अधिकारी) द्वारा(स्थान) परबजे.....

दिन को..... महीने में 20.....को की जायेगी। सुनवाई के दौरान आप अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहें तो उसके साथ आपको उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। आपत्ति के मुद्दे (संक्षेप में) निम्नलिखित हैं।

अ).....

ब).....

स्थान.....

दिनांक.....

चार्ज अधिकारी

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011(परिपत्र-3)
जिला कलक्टर स्तर पर किये जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011

रैबारी/राईका, कंजर, नाथ एवं सांसी समाज के प्रमुख जनप्रतिनिधियों की सूची

क्र. म.	जिला	समाज का नाम	नाम सदस्य मय पता
1	अजमेर	रैबारी/राईका समाज	मुलूचन्द राईका (सरपंच)जाजांता वाया रूपनगढ किशनगढजिला अजमेर 9414766594
			चैनाराम राईका कुंडा लाम्बा मसूदा अजमेर 9414355626
		कंजर समाज	शान्तिलाल रमलावत, कन्जर बस्ती, सरवाड़ 9660725716
			लक्ष्मण कंजर, विजय नगर, कंजर बस्ती 9261600285
		नाथ समाज	श्री शंकरनाथ योगी 9829715333म.न. 101 विराटनगर, कल्याणीपुरा, पोस्ट गुलाब बाडी अजमेर-305001
सांसी समाज	विकास पुत्र श्री गजेसिंह सांसी, निवासी अजमेर 9269117063 प्रेमसिंह, जाति सांसा, निवासी अजमेर		
2	अलवर	रैबारी/राईका समाज	भगवान सिंह रैबारी मु.पो. पृथ्वीपुरा तह. मालाखेडा अलवर9950253030
			दुर्गपाल सिंह /फतेह सिंह (सरपंच)कोलिला ,बहरोड अलवर 9929260442
		नाथ समाज	श्री टेकचन्द योगी 9413586574सुजान एण्ड ब्रदर्स पेट्रोल पम्प, नेशनल हाईवे 8 बहरोड अलवर
3	बांसवाडा	रैबारी/राईका समाज	गमेराराम/हजारीराम बेड़वा, परतापुर, बासंवाड़ा, 9829880821
			सवाराम/सांवलाराम, बेड़वा परतापुर, बासंवाड़ा 9799027157
4	बांरा	रैबारी/राईका समाज	राजाराम राइका, बी-46, राधाकृष्ण डेयरी के पास, शिवाजीनगर, बांरा 9413941949
			लेखराज रैबारी, ग्राम अमरपुरा, पोस्ट कोयला तह.बांरा जिला बांरा 9460494880
		नाथ समाज	श्री हिरानाथ जी 9950567934ग्राम मोतीपुरा, पोस्ट पीपलोद, तह अटरू जिला बांरा
5	बाडमेर	रैबारी/राईका समाज	खेताराम रैबारीगांव तेलवाड़ा, पोस्ट भागवा, वाया मोकलसर, तह सिवाणा, जिला बाड़मेर-9461255963
			लालचन्द देवासी, गा.पो. लन्गेरा बाडमेर फोन 9680344163
		गाड़िया लौहार समाज	जगदीश प्रसाद सोलंकी, गाड़िया लोहार कॉलोनी, नेहरू नगर। 9460667157
			नारायणराम सोलंकी, बुढ़ा मलानी 9928236303
नाथ समाज	श्री खुशालनाथ धीर 9413810225 मार्ग नं. 4 कल्याणपुरा, बाडमेर		

परिशिष्ट-13(निरन्तर)

6	भरतपुर	रैबारी / राईका समाज	मांगीलाल खाटाणा, बरखेड़ा बैर, भरतपुर 941360378 भोलासिंह रैबारी, पार्षद, बूढागेट, वार्ड नं. 18, डीग, भरतपुर 9413916830
		नाथ समाज	श्रीमती रामादेवी श्री मोहनलाल योगी भरतपुर ग्रा पो घाघरेन, तह बयाना जिला भरतपुर 9461151239
7	भीलवाडा	रैबारी / राईका समाज	अखेराज, शाहपुरा की ढाणी, शाहपुरा भीलवाड़ा नंदाजी रैबारी, आमलीखेडा, आसीन्द, भीलवाड़ा 9982707425
		नाथ समाज	श्री भैरूनाथ योगी मु./पो. मालेला, वाया पूर, जिला भीलवाड़ा 9252575322
		कंजर समाज	राजेन्द्र कंजर, ग्राम बीगोद जिला भीलवाड़ा 9549849955
8	बीकानेर	रैबारी / राईका समाज	मूलसिंह राईका, मु.पो. गाढ़वाला, बीकानेर 9351207273 रेवतराम राईका, बडेरण वाया लूणकरणसर, बीकानेर 9462479177
		नाथ समाज	श्री छिगन नाथ ग्राम पोस्ट रिडी तह श्री डुगरगढ़ जिला बीकानेर 9001802344
9	बून्दी	रैबारी / राईका समाज	दुलीचन्द रैबारी, ग्रामपो. रैबारपुरा, वाया लाखेरी, जिला बून्दी 9829427170 लक्ष्मणलाल रैबारी, लालपुरा पो इन्द्रगढ़, बून्दी 9929668329
		नाथ समाज	श्री छोटूनाथ योगी 9799163796 ग्राम झाली जी का बराना, वाया खटकड जिला बून्दी-323803
10	चित्तौड़गढ़	रैबारी / राईका समाज	जगदीशराम रेबारी (दुकानवाला) ग्रा. सांवता की ढाणी, पो सांवता, तह. गंगरार, चित्तौड़गढ़ 9829407891 मांगीलाल रायका साना चित्तौड़गढ़ 9413316205
		नाथ समाज	श्री रमेश नाथ नगरपालिका चैयरमेन, राजीवगांधी चौक के पास, रावला, सेन्ती चित्तौड़गढ़ 9414144644 9829246744
11	चुरू	रैबारी / राईका समाज	मानसिंह रैबारी (सरपंच) जणाउ, वाया राजगढ़ चुरू रामवीर सिंह / छोटूसिंह रायका (एन.एस.यू.आइ.), श्री राम होटल, नजदीक कस्वां पेट्रोल पम्प, संगम चौराहा, सरदारशहर रोड, रतनगढ़ जिला चुरू 9772358936
		नाथ समाज	श्री मदललाल सुरोलिया शास्त्री मार्के, शांति पेलेस के पास, चुरू 9414254722

परिशिष्ट-13(निरन्तर)

12	दौसा	रैबारी/राईका समाज	उमराव सिंह रैबारी, भांडारेज, दोसा 9929691491 गुरुदयाल सिंह रैबारी गांव विशाला वाया महुवा दौसा, 9414051219
		नाथ समाज	श्री बनवारीलाल योगी 9261575424 ग्राम सिंघवाड़ा, तह दौसा पोस्ट मलारना जिला दौसा-303303
13	डूंगरपुर	रैबारी/राईका समाज	रघुनाथराम/गिरधारी जी चौधरी, मु.बड़ी लिम्बोड़, पो.सेमलिया पंडया, वाया भीलूड़, डूंगरपुर 9929855091 भंवरलाल/राजाराम रैबारी डूढा, पो खलील वाया बनकोडा, डूंगरपुर 9828913238
		रैबारी/राईका समाज	मिश्रीलाल राईका सिरंगसर, वाया नोहर, हनुमानगढ़ 9929669275 गंगाराम/गाडाराम राईका चक-15-16 के.डब्ल्यू.डी रावतसर, हनुमानगढ़ 9982308404
14	हनुमानगढ़	नाथ समाज	श्री केसूनाथ जी 14 एस.एस.डब्ल्यू कोहला, हनुमानगढ़ 9929786325
		रैबारी/राईका समाज	रतनलाल रायका पापडवाला नायला, जयपुर 9828272446 श्री बनवारीलाल योगी 16 गुर्जरो की बगीची, इन्दिरा बाजार, जयपुर1 9314875763
15	जयपुर, शहर	नाथ समाज	ग्यारसी लाल गोगावत (कंजर) वार्डन.चाकसू 9784317272 राजेन्द्र गोगावत (कंजर) लदाना, चाकसू 8290755814
		कंजर समाज	इद्राराम देवासी, अचला, पो. रासला तह फतेहगढ़ जिला जैसलमेर 9982314213 नरपत सिंह/केसरसिंह रायका, ग्रा.पो. सांकड़ा, तह पोकरण, जैसलमेर 9799213553
16	जैसलमेर	रैबारी/राईका समाज	श्री ओमनाथ 9602017859 गुरु बालकनाथ का धुणा, पोस्ट व तह पोकरण, जैसलमेर-345021
		नाथ समाज	श्री बाबूलाल सांखला, गाड़िया लौहार बस्ती, सूरी डूंगरी 9799839197 श्री कुशलाराम 9636975451
		गाड़िया लुहार समाज	रतन देवासी (विधायक), रानीवाड़ा जालौर 9799044555 आसूराम देवासी, भींवपूरा बोरटा, भीनमाल जालौर 9983548359
17	जालोर	रैबारी/राईका समाज	श्री काननाथ भाटी 9414151562 विद्याभारती बी.एड. कॉलेज, जालौर
		नाथ समाज	कूपाराम गाड़िया लोहार बस्ती, सांचोर 9672833440 नरपतलाल सुजानपुरा जालौर 9649579221
		गाड़िया लुहार समाज	

परिशिष्ट-13(निरन्तर)

18	झालावाड़	रैबारी/राईका समाज	शिवराज रायका, शिवनगर की ढाणी, पो. सारोला कलां, तह खानपुर झालावाड़ 9829096584
			लालजी गेहड़, घुमरी की ढाणी पो सारोला कला, खानपुर, झालावाड़ 9828819074
		नाथ समाज	श्री अमरनाथ योगी 9929293416 जिलाधीश कार्यालय झालावाड़
19	झुझुनु	रैबारी/राईका समाज	बनेसिंह रायका, बुडाणा, झुझुनु 9950737210
			जयराम, कमल बुक डिपो, बस स्टेण्ड के सामने, झुझुनु 9461105999
		नाथ समाज	श्री सम्पतराम योगी झुझुनु 9828683001
20	जोधपुर	रैबारी/राईका समाज	पेमराम देवासी (भूतपूर्व सैनिक) संगरा, फलौदी, जोधपुर 8107248248
			घेवरराम/गिरधारीराम देवासी, धून्धाड़ा, लूणी जोधपुर 9413252054
		नाथ समाज	श्री धन्नानाथ योगी मार्फत शिवलाल जी राजपुरोहित, सी-11कर्मचारी कॉलोनी, 8 रेजीडेन्सी रोड, रातानाड़ा जोधपुर 9251065359 9413365359
		गाड़िया लौहार समाज	अणदाराम सांखला, जाटावास, लोहावट, जोधपुर नेमाराम सोलंकी पुत्र सोनाराम, सोलकीया तला, शेरगढ़, जोधपुर 9001134216
21	करौली	रैबारी/राईका समाज	गौपाललाल रैबारी, करसोली वाया हिण्डौन जिला करौली श्री शंकरलाल योगी ग्राम सपोटरा जिला करौली 9610481684
22	कोटा	रैबारी/राईका समाज	भागचन्द रायका दाता, तह सांगोद कोटा 9680921162
			गोविन्द रायका, दाता, तह सांगोद, कोटा 9799589287
		नाथ समाज	श्री कन्हैयानाथ योगी 481, विनोबा भावेनगर, खड़े गणेशजी कोटा 9602581110
23	नागौर	रैबारी/राईका समाज	श्रवण लाल राईका, ग्रा. राइकों की ढाणी, पो. पालड़ी (जोधा) वाया खजुआना नागौर 9784255337
			श्रवणलाल राईका (टेकेदार) भैरूदा, तह. डेगाना, जिला नागौर 9414766885
		नाथ समाज	श्री भंवरनाथ जी मास्टर मु. हरिमा पो. बदाना जिला नागौर 9602730621

परिशिष्ट-13(निरन्तर)

24	पाली	रैबारी/राईका समाज	मंगलराम देवासी, पूर्व पाषद, नयागांव वार्ड नं. 35, पाली 9413558807
			पोखरराम देवासी, पंचायत स. सदस्य, सुमेरपुर पाली 9950491455
		नाथ समाज	श्री फूलनाथ योगध्वर 9829581184 महाराणा प्रताप चौराहा, फुलाद रोड, सोजत रोड, जिला पाली-306103
		सांसी समाज	1. चिंकू पुत्र बनाराम सांसी निवासी पाली 2. विश्वराम पुत्र अगुरराम सांसा निवासी बलाड़ा
		गाड़िया लौहार समाज	प्रकाशचन्द चौहान, मोड़ भटा कॉलोनी, सोजत पाली 9929992468 डूंगरराम नादी 9460690605
25	राजसमंद	रैबारी/राईका समाज	लाखाराम देवासी द्वारा मोड़ीलाल कोठारी , कोठारी वस्त्र भण्डार, सदर बाजार केलवा, राजसमंद 9928270022
			मूलचन्द राइका (सरपंच) राकेश किराणा स्टोर चौपाटी, केलवा, राजसमंद 9414174334
		नाथ समाज	श्री लक्ष्मणनाथ 9672315795 राजसमंद
26	सवाई माधोपुर	रैबारी/राईका समाज	राजेश/भोलाराम रैबारी, बालेर तह. खंडार, सवाई माधोपुर 9602245797
		नाथ समाज	श्री धिवचरण योगी 9460441513 मीणा कॉलोनी, डिफेन्स स्कूल के पास जिला सवाई माधोपुर-322001
27	सीकर	रैबारी/राईका समाज	हरचन्द राम रैबारी, मु.पो लढाणा वाया पलसाना, जिला सीकर 9829993127
			बनवारी लाल रैबारी (प्रशिक्षक बास्केटबाल) रामचन्द का बांस, पो. कूदन जिला सीकर 9983651597
		नाथ समाज	श्री मोहनलाल योगी 9928043010 ग्राम जुगलपुरा, वाया सांवलपुरा, सीकर
28	सिरोही	रैबारी/राईका समाज	भूपत देसाई, डॉ. देसाई गुजरात हॉस्पिटल, सिरोही 9414201948
			पीराराम/रतनाराम रैबारी, सिरिया देवी मंदिर के पीछे, आमली रोड पिण्डवाडा, सिरोही 9414545339
29	श्री गंगानगर	रैबारी/राईका समाज	नन्दलाल, चक 12, एमएलडी, घड़साना 9929040468
			घेवरजी रायका, पुरानी आबादी, गंगानगर 9460266535
		नाथ समाज	श्री जीतनाथ योगी 8003846664 6 जे 58 जवाहरनगर, अग्रसेन चौक, टेम्पो स्टेण्ड, श्री गंगानगर-335001

परिशिष्ठ-13(निरन्तर)

30	टोंक	रैबारी/राईका समाज	जे.पी. रैबारी, ग्रा पो काकलवाड़, वाया टोडारायसिंह, जिला टोंक 9928920710
			बाबूसिंह रैबारी ग्राम. पोस्ट कड़ीला, वाया डिग्गी, टोंक 9950867325
		नाथ समाज	श्री हरनाथ कुमार योगी 9214666713 39, विकास विहार काँलोनी, स्वराज टैक्टर कम्पनी के पास, जिला टोंक
		कंजर समाज	हेमचन्द कंजर मालपुरा 9828878321
31	उदयपुर	रैबारी/राईका समाज	अर्जूनलाल/मांगीलाल रायका, शिवशक्ति कृषि फार्म, वांगरोदी वाया मावली उदयपुर 9414163355
			नारायणलाल, ग्रा. वीजणवास, वाया मावली उदयपुर वाया मावली उदयपुर 9928280914
		नाथ समाज	भुपेशनाथ उदयपुर 9414736480

परिशिष्ट-13(निरन्तर)

पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमन्तु जाति एवं अर्द्ध घुमन्तु जातियों/समाज के प्रबुद्धजनों की सूची

1.	श्री मांगी लाल बोरणा, अध्यक्ष अखिल भारतीय गाड़िया लौहार विकास समिति, जोधपुर।	9414827581
2.	श्री रामचन्द्र लुहार, अध्यक्ष, अखिल भारतीय महाराणा प्रताप वंशज गाड़िया लुहार उत्थान एवं विकास समिति, , जयपुर	9829361629
3.	श्री खेमराज देसाई, अध्यक्ष अखिल भारतीय रैबारी (राईका) समाज सेवा संस्थान, जालौर।	9649915700
4.	श्री लक्ष्मण पुत्र श्री देवीसिंह कंजर समाज निवासी कोलवा चौमहला, झालावाड़	9001237223
5.	श्री भमरूराम सौलकी, जिलाध्यक्ष, गाड़िया लुहार समाज मेडता सिटी, नागौर	9928334362
6.	श्री हनुमानराम बोराना, गाड़िया लुहार समाज, अजमेर	9680744836
7.	श्री गजराज हरला, प्रदेश सचिव, चौमहला, जिला झालावाड़	9166339073
8.	श्री महेश कुमार सैन चौमहला , जिला झालावाड़	9950940184
9.	श्री बाबूलाल कालबेलिया, कालबेलिया विकास समिति, उम्मेदनगर, जोधपुर	9928879345
10.	श्री रतननाथ कालबेलिया, निवास बिराव लोकारगेट तह. माडल, जिला भीलवाडा	9950713539
11.	श्री परश राम बंजारा, अध्यक्ष हिन्द राजस्थान बंजारा सभा मुकाम-रोडजी का खेड़ा, पोस्ट-ईड़रा, वाया भादसौड़ा जिला चित्तौडगढ	9413046353
12.	श्री इन्द्राज भाट बंजारा, अखिल भारतीय भाट (बाल्दिया, बंजारा, राव समाज समिति, जयपुर प्लाट नं. 03 सरस्वती नगर ज्ञान मार्ग मालवीय नगर, जयपुर	9314915039
13.	श्री उम्मेदसिंह रैबारी, 133 बालाजी विहार 62 निवारू जयपुर	9413188468
14.	श्री बद्रीलाल सहरिया सनवाडा, तह. शाहबाद, जिला बारां	7665146334
15.	श्रीमती कल्याण बाई नि. खेडेला अमरौली सहरिया, बारां	

परिशिष्ट-13(निरन्तर)

16.	श्री लखन सालवी, भीलवाड़ा 974 "बंकेश्वरी निवास" सहाकारी समिति के पास, मु.पो. कोशीपल, तह. सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा	9828081636
17.	श्री जसोदा बाई धेरूआ, मु.पो. पीजनी, तह. किशनगंज जिला बारां	
18.	श्री मोतीलाल शतावनी बारां, किशनगंज पो. तिरानिया	9829148460
19.	श्रीमति नारायणी बागरिया, अध्यक्ष, अखिल भारतीय बागरिया समाज सुधार महासभा, भीलवाड़ा।	9636844655
20.	श्री जयन्तिलाल चांदावत, संरक्षक, अखिल राजस्थान सांसी समाज सुधार एवं विकास न्यास, अजमेर।	9351442241
21.	श्री रामकिशोर योगी पूर्व महामंत्री राजस्थान नाथ समाज आर-1 श्री गोरक्षनाथ आश्रम विद्याधर नगर, जयपुर	9414046803, 9214014837
22.	श्री मोहल लाल योगी, जिला अध्यक्ष रा.ना. स. सीकर	9928043010
23.	श्री प्रहलादसिंह पुत्र श्री धानग्या सचिव, बिरीयासेड़ी कंजर, तह. झालरापाटन जिला झालावाड़	9928598814
24.	श्री रामलाल रायभाट, अध्यक्ष अखिल भारतीय बंजारा समाज महासंघ, टोंक	9829122866 9950650589 8104000824
25.	श्री मोहन रायभाट बन्जारा कालीबाड़ पो. डिग्गी तह. मालुपरा जिला टोंक	8890601629
26.	श्री चुन्नी लाल भाट, बन्जारा मु. कालीबाड़ पो. डिग्गी, जिला टोंक	8104419535 9929591134
27.	श्री गोपाल लाल रायभाट बंजारा मु. पो. धौली तह. मालपुरा जिला टोंक	9784843271
28.	बुधानाथ कालबेलिया गांव उमन्द नगर, जोधपुर	9413251928

परिशिष्ट-13(निरन्तर)

29.	सतीश कुमार दलित अधिकार केन्द्र, सी-56, शिवाड एरिया, बापू नगर, जयपुर	9414059848
30.	नवीन नारायण लोक अधिकार नेटवर्क, सिन्दरी चौराहा, प्रकाश प्रोविजनल स्टोर के पीछे, बाड़मेर	9413340889
31.	भंवर मेघवंशी दलित आदिवासी एवं घुमन्तु अधिकार अभियान, अम्बेडकर भवन, ग्राम सिरडियावास वाया मोड का निम्बाडा, जिला भीलवाडा	9460325448
32.	कालूलाल चौहान गाड़िया लौहार समाज, ब्यावर, अजमेर	
33.	श्री मुकेश कुमार, एस-9, राजश्री अपार्टमेन्ट, ज्योतिनगर विस्तार, जयपुर	9468862200
34.	श्री गोपाल केसावत, सांसी समाज, अजमेर	9829682319